



Neutral Citation No. - 2026:AHC:47907

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3299 वर्ष 2026

रविन्द्र कुमार

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: अम्ब्रीश चन्द्र पांडेय
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार शुक्ला (ए.ओ.आर.सं. 0027/2017), श्री अम्ब्रीश चन्द्र पांडेय के स्थान पर अस्थायी रूप से न्यायालय में उपस्थित होते हुए, वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने का निवेदन करते हैं, जिसमें याची द्वारा परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई थी, जिससे प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाए कि वे याची के दावे पर विचार करें, जो कि 6वीं बटालियन पी.ए.सी., मेरठ से जनपदीय सशस्त्र पुलिस (जिला पुलिस बल) में स्थानांतरण के संबंध में है; तथापि, अंतर्निहित त्रुटि के कारण नवीन याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया है।
2. राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।
3. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली हुई मानते हुए निरस्त की जाती है।

दिनांक : 10 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।